निर्णय बइजलास मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या — 35/2025(रे0वाद)
दायर दिनांक — 30/06/2025
निर्णय दिनांक — 14/01/2026

अनवान

1. अशोक पिता कालूराम जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार राजस्थान।

—प्रतिवादी

उपस्थित :—
वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से— पैरोकार सरकार,

वाद पत्र :—अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी ग्राम सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द का निवासी है। वादी के पिता कालू पिता वीरू जी कलाल का स्वर्गवास दिनांक 29.06.2019 को हो गया है। वादी के पिता श्री कालू राम पिता श्री वीरू जी के नाम ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा के वर्तमान खाता संख्या 8 खसरा संख्या 529 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 531 रकबा 0.2100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर सम्पुर्ण भूमि साथ ही खाता संख्या 94 खसरा संख्या 443 रकबा 0.0900 हैक्टर में 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी ने अपने पिता कि मृत्यु के बाद उक्त भूमि का नाम विरासत में अपने नाम दर्ज कराने हेतु पटवार हल्का में आवेदन किया जिस पर नामान्तरण संख्या 536 तत्कालिन समय में विरासत में वादी के नाम भरा गया। परन्तु ग्राम पंचायत दौलपुरा द्वारा जो नामान्तरण खरीज किया गया उसमें लिखा कि कोरम में विरासत जांच की गई कि वादी की माता मांगी जीवित है इसलिये नामान्तरण खारीज किया जाता हैं। 4. वादी की माता मांगी जब वादी 1 साल का था तब वादी एवं वादी के पिता श्री कालू राम जी को छोडकर अन्यत्र स्थान नाते चली गई। मांगी जो वादी की माता थी वह वर्ष 1984 में श्री मांगी लाल पिता श्री दल्ली चन्द्र कलाल निवासी कानूजा तहसील रायपुर जिला पाली में नाते चली गई उसके बाद से ही श्रीमती मांगी देवी मांगी लाल की पत्नि बनकर कानूजा में रह रही है। जिनका वादी के पिता कालू राम जी का

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

उसी समय सामाजिक रशम अनुसार छुट पला होने से वह चली गई। वादी के पिता श्री कालू राम जी की मृत्यु 2019 में हुई तत्कालिन समय श्री कालू राम जी के कोई पत्नी या अन्य कोई वारीसान नही थे। क्योकि पत्नि पुर्व में ही नाते चली गई थी गलत रूप से अदावत कर ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरण निरस्त करते हुये नामान्तरण खारीज कर दिया। भूमि आज दिन तक कालू राम के नाम ही दर्ज है। जबकि कालूराम फौत हो चुके है। विधि रूप से नामान्तरण वादी एक मात्र मालिक होने से भूमि अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी वजह से नामान्तरण निरस्त कर दिया गया। वादी पत्र में भी प्रस्तुत किया एवं एक ने मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उत्तरदायी लोगो के शपथ लिखित इकरारनामा नोटेरी से सत्यापित श्रीमती मांगी देवी का दिनांक 24.11.2022 का प्रस्तुत कर रहा है जिसमें मांगी देवी ने स्पष्ट बताया कि मेरा कालू राम जी कि जायदाद में कोई हक नहीं है एवं मै वर्ष 1984 में श्री मांगीलाल के यहा नाते चली गई हु जो भूमि ग्राम सोपरी में है वह भूमि एक मात्र मालिक अशोक कुमार ही हैं। कालू राम जी कि भूमि का मालिक एक मात्र में वादी ही हु जो भूमि मेरे नाम दर्ज कराने का अधिकारी हूं। गलत रूप से उक्त भूमि मेरे पिता जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम ही दर्ज है जिसे भूमि मेरे नाम दर्ज किये जाने हेतु घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी के नाम कालू राम की मृत्यु के बाद भी भूमि दर्ज नहीं होने एवं तहसीलदार जी को नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र देने के बावजुद भी नामान्तरण नहीं खोलने से वाद हेतु दिनांक 30.04.2025 को उत्पन्न हो निरन्तर जारी है। ग्राम सोपरी पटवार सर्कल दोलपुरा तह० देवगढ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 8 खसरा संख्या 529 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 531 रकबा 0.2100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर सम्पुर्ण भूमि साथ ही खाता संख्या 94 खसरा संख्या 443 रकबा 0.0900 हैक्टर में 1/6 हिस्सा में दर्ज कालूराम पिता वीरू जी कलाल के फोत हो जाने से उनका नाम विलोपित किया जाकर वादी का अशोक कुमार पिता कालूराम के राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने कि घोषणा व इसी आशय कि डिकी जारी फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा मृतक कालुराम मेवाडा पिता विरूराम मेवाड़ा की विधिक वारिसान की जांच पटवार हल्का दौलपुरा द्वारा की गयी जिसके अनुसार मृतक कालुराम के एक पुत्र अशोक मेवाडा एव पत्नी मांगीबाई कुल दो वारिसान है। जिनका सजरा प्रमाणित संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मामलें में प्रस्तुत दावा एवं जवाब दावें के अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :—

1. आया वादी ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा तहसील देवगढ़ के वर्तमान खाता संख्या 08 खसरा संख्या 529, 531 कुल किता 02 कुल रकबा 0.4300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 94 खसरा संख्या 443 रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि में वादी के कालूराम पिता वीरू कलाल के फौत हो जाने से कालूराम के हिस्से की भूमि को वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की घोषणा कराने की अधिकारी है।
जिम्मे वादी
2. आया वादी कालूराम पिता वीरू कलाल की मृत्यु के उपरांत एकमात्र वारिस वादी है।
जिम्मे वादी
3. आया प्रतिवादी कालूराम पिता वीरू कलाल के 02 वारिसान कालूराम मेवाड़ा पुत्र एवं मागीबाई पत्नी है।
जिम्में प्रतिवादी
4. अनुतोष।

प्रकरण में वादी ने वाद पत्र के समर्थन में गवाह शम्भुनाथ पिता संतोष नाथ, अशोक पिता कालूराम के शपथ पत्र पेश किए गए। प्रतिवादी पैरोकार सरकार की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किए गए।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः—

88. Suits for declaration of right—

1. (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.
2. (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.
3. (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.
4. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अर्ज किया वादी मृतक कालूराम का एकमात्र उत्तराधिकारी है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा पेश जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट मय मौका पर्चा का अवलोकन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः—

1. उक्त तनकी संख्या 01 जिम्मे वादी होकर वादी ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह शम्भुनाथ पिता संतोष नाथ, अशोक पिता कालूराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
   — हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक पुरूष की संपत्ति. सर्वप्रथम क्लास—। वारिसों को जाती है, जिनमें पुत्र एवं पत्नी दोनों सम्मिलित है। हस्तगत प्रकरण में मांगीदेवी मृतक कालूराम की विधिवत पत्नी थी जिसकी मृत्यु अथवा विधिक तलाक का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह कथन किया कि माता मांगीदेवी वर्ष 1984 में नाता चली गई है, किन्तु न्यायालय के समक्ष कोई नाता पत्र, न्यायालय की कोई डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मौखिक कथन अथवा दीर्घकालीन अलगाव से पत्नी का वैधानिक उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पत्नी को क्लास—। वारिस होने से वंचित नही किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा मान्य त्याग या विच्छेद सिद्ध न हो। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध नहीं होता है कि वादी एकमात्र उत्तराधिकारी है। जिससे उक्त तनकी वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।
2. उक्त तनकी संख्या 02 जिम्मे वादी होकर तनकी संख्या 01 के अनुसरण में वादी उक्त तनकी को सिद्व करने में असफल रहा है। जिससे उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।
3. उक्त तनकी संख्या 03 जिम्में प्रतिवादी पैरोकार सरकार होकर इनके द्वारा अपनी उक्त तनकी के समर्थन में कोई साक्ष्य या प्रदर्शित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। हस्तगत प्रकरण में मृतक कालूराम के 02 वारिसान अशोक एवं मांगीबाई है। यह पटवारी रिपोर्ट एवं मौका पर्चा से सिद्व होता है। तथा मांगीबाई मृतक कालूराम की विधिवत पत्नी है। वादी द्वारा विवाह विच्छेद

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अथवा नाता को कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. अनुतोष।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में आंशिक सफल रहा है। यही नहीं नामान्तरण संख्या 536 जिसमें मृतक कालूराम के विधिक वारिसान में मांगीबाई को नजरअंदाज कर पेश किए गया नामान्तरण इसी आधार पर खारिज किया गया था। चूंकि यदि वादी को कोई आपत्ति थी तो खारिज नामान्तरकरण की सक्षम न्यायालय में अपील की जानी थी इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतक कालूराम वारिस अशोक(पुत्र) अथवा मांगीबाई(पत्नी) दोनो ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा के वर्तमान खाता संख्या 8 खसरा संख्या 528 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 531 रकबा 0.2100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर सम्पुर्ण भूमि साथ ही खाता संख्या 94 खसरा संख्या 443 रकबा 0.0900 हैक्टर भूमि में मृतक कालूराम के हक हिस्से की संपत्ति में वादी को 1/2 हिस्सा तथा मांगीबाई (पत्नी) को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/01/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

14/1/26

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर (चेयरमैन अधिकारी)
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

निर्णय दिनांकः— 14/01/2026

मूल वाद मे डिकी (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :— मोहकम सिंह सिनसिनवार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :— 35/2025(रे0वाद)

अनवान

1. अशोक पिता कालूराम जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार राजस्थान।

—प्रतिवादी

उपस्थित :—
वादी की ओर से — श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से— पैरोकार सरकार,

दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम सोपरी पटवार हल्का दौलपुरा के वर्तमान खाता संख्या 8 खसरा संख्या 528 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा संख्या 531 रकबा 0.2100 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर सम्पुर्ण भूमि साथ ही खाता संख्या 94 खसरा संख्या 443 रकबा 0.0900 हैक्टर भूमि में मृतक कालूराम के हक हिस्से की संपत्ति में वादी को 1/2 हिस्सा तथा मांगीबाई (पत्नी) को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

14/1/26

(मोहकम सिंह सिनसिनवार **R.A.S.**)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)